

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,

राजस्व परिषद, 30प्र0

लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय:- जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर में 150 सीट क्षमता के अति-आधुनिक मीटिंग हॉल के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्रांक-जी-98(2)/12-भवन-86/2015, दिनांक 29 जुलाई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर में 150 सीट क्षमता के अति-आधुनिक मीटिंग हॉल के निर्माण कार्य हेतु उच्च विशिष्टियों की कार्य मदों सहित आंकलित लागत ₹0 531.59 लाख (रूपये पांच करोड़ इक्कतीस लाख उनसठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹0 231.59 लाख (रूपये दो करोड़ इक्कतीस लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त कार्य कार्यदायी संस्था पैकफेड से कराया जायेगा। राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (पैकफेड) को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।
- (2) निर्माण कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की जायेगी जिसका समय-समय पर जिला स्तरीय गुणवत्ता सेल टास्कफोर्स द्वारा स्थलीय सत्यापन भी प्रत्येक माह में किया जायेगा तथा प्रत्येक माह गुणवत्ता की सत्यापन रिपोर्ट सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राजस्व परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाय कि अनुमोदित आगणन/स्वीकृत धनराशि से अधिक का कार्य कदापि न कराया जाय और न ही स्वीकृत धनराशि का डाइवर्जन किसी दूसरे मद में किया जाय अन्यथा इनका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
- (3) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है।
- (4) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (6) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय कि कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप उच्चकोटि की हो तथा निर्माण कार्य समयान्तर्गत सम्पादित हों तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्य की मानीटरिंग भी सुनिश्चित की जाय।
- (8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
- (10) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
- (11) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग यथास्थिति पी0एफ0ए0डी0/ई0एफ0सी0 तथा मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 23-3-2013 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-02-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/ विस्तार/पुर्ननिर्माण/सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (ई) अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-ई-5-03/दस-2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
गिरीश चन्द
अनु सचिव।

संख्या-4/2017/1799(1)/एक-5-2016-91/2015, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 5- जिलाधिकारी, मैनपुरी।
- 6- प्रबंधक निदेशक, पैकफेड/सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक।
- 7- राजस्व अनुभाग-6/गार्ड पत्रावली।

भवदीय,
गिरीश चन्द
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।